संख्याः 859/XVII(4)/2017-2(10)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनःदिनांक 23 मई, 2017

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 की विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–303/बजट–4329/2017–18 दिनांक 08.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की मतदेय/भारित की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत धनराशि रू0 **1386041** हजार (रू0 एक अरब अड़तीस करोड़ साठ लाख इक्तालीस हजार मात्र), अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत धनराशि रू0 178334 हजार (रू0 सत्रह करोड़ तिरासी लाख चौतीस हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत धनराशि रू0 47500 हजार (रू0 चार करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 **1611875 हजार (रू0 एक अरब इक्सठ करोड़ अठठारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में निहित निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. वचनबद्ध मदों यथा वेतन, महगाई भता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकल/जलप्रभार, किराया, पेशन, भोजन व्यय, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिाके के वेतन हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिये भुगतान आदि मदों की धनराशि आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते है कि इन मदों के अर्न्तगत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेंगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

2. अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित की बचत सुनिश्चित की जायेगी। मानक मद–01–वेतन–03–महगांई भत्ता–06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

3. भारत सरकार द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर की व्यवस्था समाप्त कर राजस्व तथा पूंजी की व्यवस्था अपनायी गई है। राज्य सरकार द्वारा भी लेखानुदान राजस्व तथा पूंजी के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया है।

4. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आप अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को भी साफ्टवेयर के माध्यम से ही बजट जारी करते हुए आवंटन किया जाय।

5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्दशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/ उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए तथा प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से राजस्व एवं पूंजी शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

11. भारत सरकार व अन्य संस्थाओं से पूर्णतः अथवा आंशिक आधार पर पोषित योजनाओं अथवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा धनावंटन की स्वीकृति उसी दशा में दी जाय जब भारत सरकार अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन हेतु किश्त आवंटित कर दी गई हो अथवा कार्यान्वयन और धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

12. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

13. उपर्युक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा।

15. बी0एम0–8 पर संकलित मासिक सूचनायें नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 30 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28–3–2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 S1705150166, S1705150167 एवं S1705310168 दिनांक 23.05.2017 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 859 (1)XVII(4)/2017-2(10)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त–1 एवं 5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विम्मी सचदेवा)
अपर सचिव